

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 30.07.2015 के आश्वासन)

लोक निर्माण विभाग

दिनांक 30.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
769	परि.अता.प्र.सं.02 (क्र.142) दि.30.07.2015 (श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा)	देवास जिले की सोनकच्छ तहसील के ग्राम लकुमडी से मुरावर मार्ग की स्वीकृति प्रदान की जाना ।	कार्यवाही संभाग स्तर पर प्रचलन में है, कार्यपालन यंत्री द्वारा मार्ग का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।		
770	परि.अता.प्र.सं.14 (क्र.720) दि.30.07.2015 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	जिला आगर मालवा की वि.स.क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत नगरीय क्षेत्र नलखेड़ा में संचालित टोल नाका बंद किया जाना अथवा नगरीय क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित किया जाना ।	(1) टोल नाका बंद करने हेतु प्रकरण विचाराधीन है । (2) प्रकरण विचाराधीन है ।		
771	परि.अता.प्र.सं.16 (क्र.826) दि.30.07.2015 (श्री सोहनलाल वाल्मीक)	छिन्दवाड़ा जिले में परियोजना क्रियान्वयन इकाई-12 द्वारा जिन शाला भवनों का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन भवनों की अनुमानित लागत से अधिक लागत लगने पर अधिक लागत का भुगतान किया जाना ।	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा ।		
772	परि.अता.प्र.सं.17 (क्र.870) दि.30.07.2015 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	जिला रतलाम के जावरा शहर के मध्य स्थित रेल्वे फाटक पर फ्लाई ओवर/अंडर ब्रिज निर्माण हेतु बजट का प्रावधान किया जाना ।	कार्यवाही प्रगति पर है ।		
773	परि.अता.प्र.सं.24 (क्र.1311) दि.30.07.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर जिले की सिहोरा वि.स.क्षेत्र अंतर्गत सेलवारा से कछारगांव सिलौण्डी मार्ग पर गाडा घाट पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाना ।	पूर्व ठेकेदार के हर्जे खर्चे पर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर है ।		
774	परि.अता.प्र.सं.51 (क्र.1831) दि.30.07.2015 (श्री दीवान सिंह विठ्ठल पटेल)	बड़वानी जिले के सेंधवा खेतिया राज्यमार्ग क्र.36 के निर्माण में शहरी मार्ग का डामरीकरण किया जाना ।	सेंधवा-खेतिया राज्यमार्ग क्र. 36 के निर्माण में शहर से डामरीकरण का मार्ग तैयार किया जावेगा। मार्ग का निर्माण आर.ओ.डब्ल्यू. में ही किया जावेगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 30.07.2015 के आश्वासन)

लोक निर्माण विभाग

दिनांक 30.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
775	परि.अता.प्र.सं.75 (क्र.2162) दि.30.07.2015 (प्रो.संजीव छोटेलाल उईके)	मण्डला जिले के मण्डला से पिण्डरई मार्ग निर्माण की स्वीकृति दी जाना एवं मार्ग का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना ।	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर है तथा स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ किया जावेगा ।		
776	परि.अता.प्र.सं.135 (क्र.2965) दि.30.07.2015 (श्री रामसिंह यादव)	शिवपुरी जिले के बदरवास विकासखण्ड अंतर्गत खतौरा से विजरौनी मार्ग पर जीर्ण-शीर्ण पुलियों का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाना ।	प्रस्ताव परीक्षणाधीन है ।		
777	परि.अता.प्र.सं.137 (क्र.2982) दि.30.07.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह बना)	रीवा जिले के मऊगंज हनुमना मार्ग के निर्माण/मरम्मत में बाधित हेण्डपंपों एवं नलजल योजना को विस्थापित किया जाना ।	विस्थापन की कार्यवाही जारी है ।		
778	अता.प्र.सं.05 (क्र.423) दि.30.07.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू.भिण्ड का कार्यालय किराये के भवन में संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाना ।	भवन किराये की स्वीकृति हेतु परीक्षण किया जा रहा है, तदनुसार स्वीकृति प्रदायगी की कार्यवाही की जायेगी ।		
779	अता.प्र.सं.18 (क्र.977) दि.30.07.2015 (श्री अनिल जैन)	टीकमगढ़ जिले के ओरछा से पृथ्वीपुर मार्ग पर बेतवा एवं जामनी नदी के जर्जर पुल के स्थान पर नवीन पुल बनाया जाना ।	नवीन स्वीकृति एवं निविदा उपरांत नवीन एजेंसी चयन की कार्यवाही की जावेगी ।		
780	अता.प्र.सं.60 (क्र.2003) दि.30.07.2015 (डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा शहर में मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के पालन में अण्डर ब्रिज की ड्राईंग, डिजाईन एवं प्रोजेक्ट प्लान शीघ्र तैयार कर कार्य प्रारंभ किया जाना ।	प्रोजेक्ट प्लान प्रक्रियाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 30.07.2015 के आश्वासन)

लोक निर्माण विभाग

दिनांक 30.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
781	अता.प्र.सं.81 (क्र.2230) दि.30.07.2015 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	बालाघाट जिले के लांजी अनुभाग में डडवा-घाट टेमनी मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना।	पुनः एजेन्सी का निर्धारण होने पर पुनः काम शुरू हो जावेगा।		
782	अता.प्र.सं.119 (क्र.2815) दि.30.07.2015 (श्री रामपाल सिंह)	शहडोल जिले के सीधी ब्यौहारी मार्ग ग्राम पट्टडिया के पास ओदारी नदी पर निर्मित रपटा काफी पुराना एवं क्षतिग्रस्त होने से उसके स्थान पर नवीन पुल का निर्माण किया जाना।	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
783	अता.प्र.सं.137 (क्र.3123) दि.30.07.2015 (डॉ.योगेन्द्र निर्मल)	बालाघाट जिले के लो.नि.वि.संभाग बालाघाट के अंतर्गत उपसंभाग वारासिवनी में पदस्थ श्री अबरार अहमद स्थल सहायक को 12 एवं 24 वर्ष की क्रमोन्नति का लाभ दिये जाने के संबंध में मा.उच्च न्यायालय में याचिका क्र. डब्ल्यू.पी.16479/2012(एस) में पारित आदेश दिनांक 05.12.2012 के पालन में देयकों का भुगतान शीघ्र किया जाना।	जी हां। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
784	अता.प्र.सं.140 (क्र.3131) दि.30.07.2015 (श्रीमती संगीता चारेल)	रतलाम जिले के सेलाना-बांसवाड़ा के मुख्य आंतरिक मार्ग की शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना।	स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।		
785	अता.प्र.सं.146 (क्र.3170) दि.30.07.2015 (श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)	कटनी जिला मुख्यालय में न्यायालय भवन निर्माण में अनियमितता करने वाले संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 30.07.2015 के आश्वासन)

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

दिनांक 30.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
786	परि.अता.प्र.सं.08 (क्र.297) दि.30.07.2015 (श्री जतन उईके)	छिन्दवाड़ा जिले के पांडुर्णा शहर के पेयजल आपूर्ति हेतु परसोड़ी जलाशय का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	निविदा प्रक्रिया आदि पूर्ण की जाकर कार्य प्रारंभ किया जायेगा।		
787	परि.अता.प्र.सं.33 (क्र.1615) दि.30.07.2015 (श्री शैलेन्द्र जैन)	सागर नगर में अनियंत्रित मांस-मछली विक्रय की दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना।	विद्युत संयोजन का कार्य प्रक्रियाधीन है, कार्य पूर्ण होने पर स्थानांतरित किया जायेगा।		
788	परि.अता.प्र.सं.57 (क्र.1909) दि.30.07.2015 (श्री वेलसिंह भूरिया)	धार जिले की सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वाले कॉलोनाईजर/भूमिस्वामियों एवं इस हेतु जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) कॉलोनाईजर/भूमिस्वामियों को सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहे गए हैं, वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है। (2) कार्यवाही प्रचलन में है।		
789	परि.अता.प्र.सं.69 (क्र.2057) दि.30.07.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	राजगढ़ जिले की नगर परिषद सुठालिया में सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना।	प्रस्ताव परीक्षाधीन है।		
790	परि.अता.प्र.सं.103 (क्र.2506) दि.30.07.2015 (श्री दिलीप सिंह शेखावत)	प्रदेश में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत कार्यरत सामुदायिक विकास संगठनों को नगरीय निकायों में नवीन सेटअप पदों पर नियमित किया जाना।	वर्तमान में उक्त विषय विचाराधीन है।		
791	परि.अता.प्र.सं.104 (क्र.2537) दि.30.07.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	सतना नगर पालिका निगम के क्षेत्रान्तर्गत बिड़ला कारपोरेशन लिमिटेड के सतना सीमेन्ट वर्क्स में स्थित बिड़ला विकास स्कूल के पीछे बनाये गये अवैध निर्माण को हटाया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 30.07.2015 के आश्वासन)

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

दिनांक 30.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
792	परि.अता.प्र.सं.105 (क्र.2538) दि.30.07.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	भोपाल हबीबगंज स्टेशन के पास स्थित मानसरोवर काम्पलेक्स निर्माण की भवन अनुज्ञा रद्द किया जाना।	भवन अनुज्ञा को रद्द करने के संबंध में प्रकरण परीक्षणार्थीन है।		
793	परि.अता.प्र.सं.106 (क्र.2556) दि.30.07.2015 (श्री ओम प्रकाश धुर्वे)	अनूपपुर जिला अंतर्गत नगर पालिका विजुरी में सामग्री खरीदी के संबंध में की गई शिकायत की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	आयुक्त(राजस्व) शहडोल संभाग द्वारा जांच कराई जा रही है।		
794	परि.अता.प्र.सं.114 (क्र.2694) दि.30.07.2015 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	प्रदेश में पट्टे/लीज पर दी गई जमीन फ्री-होल्ड किया जाना।	पट्टे/लीज की जमीन को फ्री-होल्ड करने संबंधी विषय विचाराधीन है।		
795	परि.अता.प्र.सं.138 (क्र.2989) दि.30.07.2015 (श्री आरिफ अकील)	भोपाल नगर निगम के आयुक्त, अपर आयुक्त, नगर यंत्री की मिलीभगत में शासकीय राशि का दुरुपयोग किये जाने से उनके विरुद्ध माह अप्रैल 2015 में प्रश्नकर्ता द्वारा की गई शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रमुख अभियंता से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
796	परि.अता.प्र.सं.141 (क्र.3051) दि.30.07.2015 (श्रीमती शकुन्तला खटीक)	शिवपुरी जिले की नगर पंचायत करैरा एवं नरवर में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जी हां। उपसंचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर द्वारा जांच की जा रही है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 30.07.2015 के आश्वासन)

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

दिनांक 30.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
797	परि.अता.प्र.सं.147 (क्र.3122) दि.30.07.2015 (डॉ.योगेन्द्र निर्मल)	श्री सुशील कुमार पाण्डे, तत्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी बालाघाट द्वारा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत जलावर्धन योजना के कार्यों में की गई अनियमितता के लिये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाना।	नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।		
798	परि.अता.प्र.सं.165 (क्र.3219) दि.30.07.2015 (श्री चेतन्य कुमार कश्यप)	रतलाम नगर में अवैध कालोनियों के नियमितीकरण एवं विकास कार्य हेतु राशि स्वीकृत कर शीघ्र राशि आवंटित किया जाना।	राशि की स्वीकृति एवं आवंटन का प्रकरण संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.भोपाल में विचाराधीन है।		
799	अता.प्र.सं.24 (क्र.1325) दि.30.07.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर जिले की सिहोरा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत सिहोरा से खितौला बरझा रोड का प्रस्तावित बाईपास मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्र कर कार्य प्रारंभ किया जाना।	उक्त निर्माण कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही उपरांत योजना तैयार की जायेगी।		
800	अता.प्र.सं.98 (क्र.2432) दि.30.07.2015 (श्री शंकर लाल तिवारी)	सतना शहर के शासकीय खेरमाई नाले पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना।	जी हां। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रचलित है।		
801	अता.प्र.सं.103 (क्र.2563) दि.30.07.2015 (श्री ओम प्रकाश धुर्वे)	नगर पालिका परिषद शहडोल में कार्यरत उप यंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा के योग्यता प्रमाण पत्र फर्जी होने की प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।		
802	अता.प्र.सं.110 (क्र.2670) दि.30.07.2015 (श्री सुन्दर लाल तिवारी)	श्री प्रमोद कुमार पाठक परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण पन्ना के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	कलेक्टर पन्ना के स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है। जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष एवं गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 30.07.2015 के आश्वासन)

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

दिनांक 30.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
803	अता.प्र.सं.116 (क्र.2777) दि.30.07.2015 (श्री अशोक रोहाणी)	जबलपुर शहर में मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन के तहत बी.पी.एल. परिवारों के निवासों पर पक्के/जलवाहित शौचालयों का निर्माण कराया जाना।	पक्के/जलवाहित शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है।		
804	अता.प्र.सं.135 (क्र.3114) दि.30.07.2015 (श्री वीरसिंह पंवार)	विदिशा जिले की कुरवाई नगर पंचायत क्षेत्र में कॉलोनाईजरो द्वारा कॉलोनी विकास की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी बनाकर बेचे जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	नगरीय क्षेत्र में कॉलोनी विकास की अनुमति के बिना किये जा रहे अवैध भूमि प्लोटों के संबंध में कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई द्वारा की जा रही है।		
805	अता.प्र.सं.138 (क्र.3124) दि.30.07.2015 (डॉ.योगेन्द्र निर्मल)	वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में बालाघाट जिले की वारासिवनी नगर पालिका परिषद द्वारा कराये गये कार्यों में अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	कलेक्टर जिला बालाघाट को जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने एवं की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
(जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 30.07.2015 के आश्वासन)

वन विभाग

दिनांक 30.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
806	परि.अता.प्र.सं.125 (क्र.2805) दि.30.07.2015 (श्री रामपाल सिंह)	(1) वनमण्डल उत्तर शहडोल के वन परिक्षेत्राधिकारी जयसिंहनगर के विरुद्ध अनियमितता किये जाने की प्राप्त शिकायत की जांच निश्चित समय-सीमा में कराया जाना। (2) वन मंडल उत्तर शहडोल अंतर्गत अनियमितता की प्राप्त शिकायत पर की गई जांच के जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जी हां। शिकायत का स्वरूप वृहद होने के कारण जांच वर्तमान में प्रचलित है। (2) उपप्रबंध संचालक, उत्तर शहडोल द्वारा की जा रही जांच अभी प्रचलित है।		
807	अता.प्र.सं.03 (क्र.280) दि.30.07.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया)	मंदसौर एवं नीमच जिले में वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना।	विद्यमान अतिक्रमण हटाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।		
808	अता.प्र.सं.64 (क्र.2066) दि.30.07.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	राजगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री क्रय में अनियमितता के संबंध में दिनांक 19.02.2015 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा दिए गए जांच के आदेश पर कराई गई जांच के जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है।		
809	अता.प्र.सं.80 (क्र.2225) दि.30.07.2015 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	बालाघाट जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में विस्तार हेतु बांस एवं काष्ठ की कटाई की अनुमति शीघ्र ही भारत सरकार से प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया जाना।	वर्ष 2015-16 हेतु अनुमति प्राप्त कर कटाई की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 30.07.2015 के आश्वासन)

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

दिनांक 30.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
810	अता.प्र.सं.33 (क्र.1532) दि.30.07.2015 (श्री मुकेश नायक)	वर्ष 2015 में अमेरिका दौरे के समय फ्रेंड्स ऑफ मध्यप्रदेश सम्मेलन के दौरान म.प्र.मूल के विदेशों में बसे व्यक्तियों ने मध्यप्रदेश में परियोजना स्थापित करने हेतु उनसे प्राप्त प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिए भूमि उपलब्ध कराया जाना।	03 प्रस्तावों पर भूमि चिन्हित/आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है।		